संख्या-25/2021/997/22-2-2020-17(760)/2017

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 फरवरी, 2021

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिवारीलाल पुत्र श्री गुलजारीलाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27351/प्रोबे0अनु0(2)-217/सला0समिति/(एम-05-06-2020)/2020, दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिवारीलाल पुत्र श्री गुलजारीलाल, ग्राम-गढ़ी नगला हाल सुल्तानगंज खरेटा, थाना-शमशाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। पुरानी रंजिश होने के कारण दिनांक 23.12.1998 को बंदी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 03 व्यक्तियों की तमंचे से गोली मार कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-164/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-2, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 13.09.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2008 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.09.2020 तक 21 वर्ष 01 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 04 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 13.09.2020 तक 50 वर्ष 10 माह है। पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पत्र दिनांक 06.07.2020 द्वारा अभिमत में अंकित किया गया कि सत्र परीक्षण संख्या-164/99 की पत्रावली फौजदारी अपील संख्या-236/1 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद भेजी गयी है, जो वापस प्राप्त नहीं हुई है। पत्रावली के अभाव में कोई अभिमत दिया जाना सम्भव नहीं है। सलाहकार समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी द्वारा पुरानी रंजिश होने के कारण दिनांक 24.12.1998 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 03 व्यक्तियों की तमंचे से गोली मार कर हत्या कर दी गयी। बन्दी के कारागार से रिहा होने पर भविष्य में पुन: अपराध करने, शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद शान्त न होने तथा उसके परिवार की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की रिहाई के लिए उपयुक्त न होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु पत्रावली के अभाव में अभिमत नहीं दिया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दिवारीलाल पुत्र श्री गुलजारीलाल को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी दिवारीलाल (बन्दी संख्या-15123) पुत्र श्री गुलजारीलाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2021/997(1)/22-2-2020 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2-वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in